

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

मा. श्री 90 उपखण्ड बनाम श्री 90 मुराबज (वर्ग 0)  
श्री जेराबज नं. 80 सन 2018  
88, 89, 92 क व 188 RTA क

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>21/7/18 वाद/प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक <u>25/7/18</u> को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, करेड़ा</p> <p>पत्रावली पेश हुई वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 उपस्थित। वादी के अधिवक्ता श्री लखन पाठानल एवं अधिवक्ता प्रतिवादी श्री T.C. जोन उपस्थित हुए। दोनों पक्षों द्वारा आपसी मतभेद से वाद नही चलाने हेतु निर्णय ले लिया गया पेश किया। यद्यपि वादी राजपदी ले आगे बोलें वही चलाने वाले हैं पत्रावली इसी तरह पर समाप्त कि जाकर दोनों पक्षों के हवाला में आये। पत्रावली नं. के अन्त में।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा</p>	<p><u>म</u></p> <p><u>दुर्गाशरण</u>  <u>मैथिल्यारत</u>  <u>श्री (मैथिल्यारत)</u></p> <p><u>श्रीवामन</u>  <u>9d. bhume</u>  <u>T. C.</u>  <u>13/7/18</u></p>